ग्राम पंचायत छतरोली, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176201 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत छतरोली, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री रजिन्दर कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री अजय कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री रविन्दर कुमार	01.04.2022 से 31.03.2023
2	श्री सुरिन्द्र कुमार	01.04.2023 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री सुभाष सिंह	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत छतरोली के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	5.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	25.10
2	6.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.83
3	6.2	विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे	0.05
4	7.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक का क्रय करना	0.47
5	7.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	4.10
6	7.3	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना एवं नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में लाखों के अनियमित भुगतान करना	0.82
7	8.1	निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स के क्रय हेतु अनियमित भुगतान करना	3.63
8	8.2	सामग्री खरीद हेतु अधिक भुगतान करना	0.10
9	9	बिल/वाउचर अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	4.69
10	10	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	2.42

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत छतरोली के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 01.08.2024 से 07.08.

2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्वः स्त्रोत व अनुदानों की हस्तगत रोकड़ बहियो के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2022—23	01 / 2023	05 / 2022
2023—24	03 / 2024	06 / 2023

अस्वीकरण (Disclaimer) :— वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत के अवधि 01 / 04 / 2022 से 31 / 03 / 2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800 / — आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा / अ.वृ.का. / 2024 / 341 दिनांक 07.08.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक जसूर के मल्टीसिटी चैक संख्या 074834 दिनांक 27.08.2024 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ.वृ.का. / 2024 / 329 दिनांकः—01.08.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में दिया गया हैः—

1.स्वः—स्त्रोतः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	112780.00	590555.42	703335.42	190278.00	513057.42
2023-24	513057.42	461739.00	974796.42	609774.00	365022.42

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	2351060.79	3389261.15	5740321.94	3542564.15	2197757.79
2023-24	2197757.79	2002735.72	4200493.51	1690036.72	2510456.79

कुल योग (1+2) 365022.42+2510456.79 =**2875479.21**

(ख). बैंक समाधान विवरणीः–

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत रोकड बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अंतशेष ₹28,75,479.21/- तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि "**परिशिष्ट–3**" के अनुसार अन्तशेष ₹28,75,479.21/–से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र0 सं0	विवरण	बैंक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्वःस्त्रोत/वी.के.वी.एन.वाई/एस.डी.पी/एस.डी.आर.एफ	का•के•सह•बैंक जस्सूर	20032005173	372250
2	5वां वित	का•के•सह•बैंक जस्सूर	50051609191	44156
3	5वा वित/वी.के.वी.एन.वाई	का•के•सह•बैंक जस्सूर	50051609168	539699.42
4	टी.एस.सी	का•के•सह•बैंक जस्सूर	50051609271	0
5	आई.ए.वाई	का•के•सह•बैंक जस्सूर	50051609248	110
6	एम.पी.लेड	का•के•सह•बैंक जस्सूर	50051609179	4949
7	एस.डी.पी	का•के•सह•बैंक जस्सूर	50051609226	33349
8	14वाँ वित्तायोग	का•के•सह•बैंक जस्सूर	50051609204	948.49
9	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	एच•डी•एफ•सी.बैंक जस्सूर	50100358004920	1880017.30
	हस्तगत शेष			
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योगः–				₹2875479.21

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :–	
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–	₹2875479.21
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेषः–	₹2875479.21
अन्तरः–	शून्य

(ग) स्कीम वाईज खाते न खोलने बारेः–

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत छतरोली के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते तो अलग–अलग खोले गये थे परन्तु उक्त नियमानुसार उन खातो में राशि जमा नहीं करवाई गई, बल्कि स्वः स्त्रोत व अनुदानों जैसे कि 5वां वित, वी.के.वी.एन.वाई / एस.डी.पी. / एस.डी.आर.एफ, एम.पी.लेड, आई.ए.वाई इत्यादि की सयुंक्त हस्तगत रोकड़ बही लगाई गई थी तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वःस्त्रोत, वी.के.वी.एन.वाई / एस.डी.पी. / एस.डी.आर.एफ आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमों एंव निर्देशों के विरूद्ध संयुक्त खाता संख्या 20032005173 में ही प्राप्त अनुदानो को जमा किया गया तथा इससे ही व्यय किया गया था तथा 5वां वित से प्राप्त अनुदानों को संबंधित अनुदान के खाता संख्या 50051609191 में जमा न करवाकर अनुदान वी.के.वी.एन.वाई के खाता संख्यां 50051609168 में जमा करवाया गया तथा इसी से ही व्यय किया गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। जोकि नियमों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 340 दिनांकः–07.08.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–100 दिनांकः–07.08.2024 द्वारा दिया गया उत्तर कि स्कीम वाईज खातों का अनुसंधारण कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख–रखाव न करने व स्कीम वाईज खातों का संचालन न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के अनुरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

(घ) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों के वाउचरों से इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यो हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ है तथा निम्न कार्यो को पूरा किया जा चुका है अथवा नहींः–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं0/ दिनांक	बिल सं0/दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1.	15वां वित	01/19.05.2022	20001/ 24.05.2022	निर्माण रास्ता रोड से शीला शर्मा के घर तक वार्ड–3	42162
2.	मनरेगा	निल/21.05.2022	10569/ 29.12.2021	निर्माण जीपेवल रोड करतार सिंह ममता देवी वार्ड–3	35135
3.	मनरेगा	निल/21.05.2022	10569,30/ 29.12.21,निल	निर्माण जीपेवल रोड जोगिन्द्र सिंह सेन, हुकुम सिंह सेन वार्ड–3	184660
4.	मनरेगा	52/23.06.2022	338/ 06.03.2023	निर्माण जीपेवल रोड मेन सडक से बाबू राम के घर तक वार्ड–4	101284

इस अनियमितता बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/340 दिनांकः–07.08.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 100 दिनांकः–07.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अवधि की खाताबहियों/लेखा खातों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अतः उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी

खाताबही / लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जायें व कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

5.1 अनुदान की राशि ₹25.10 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां0 / 2024 / 329 दिनांकः—01.08.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि परिशिष्ट—1 व परिशिष्ट—2 पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31—03—2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹25,10,456.79 / — की राशि उपयोग हेतु शेष थीः—

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1.	15वाँ वित्त / वी.के.वी.वाई.एन	31.03.2024	591083
2.	आई.ए.वाई	31.03.2024	110
3.	एम.पी.लेड	31.03.2024	4949
4.	एस.डी.पी	31.03.2024	33349
5.	14वाँ वित	31.03.2024	948.49
6.	15वाँ वित्त / पी.एस / जेड.पी	31.03.2024	1880017.30
		कुल जोड	**2510456.79**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है।

इस राशि के उपयोग / व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 330 दिनांक—03.08.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— 100 दिनांकः—07.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनुपयोग अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

5.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.83/- लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना:–

ANNUAL REPORT

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है।

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत (Oustanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/329 दिनांकः–01.08.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट ''4''** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹83085**/– की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की इतनी अधिक राशि का पर्याप्त कारणों के बिना वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/331 दिनांकः–03.08.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 100 दिनांकः–07.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली को करनें

उपरान्त निधि में जमा करवा दिया जायेगा। प्रत्युतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि ₹0.05 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

ANNUAL REPORT

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः– 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता सख्या "0070–60–108–01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत संलग्न **परिशिष्ट "5"** व निम्न तालिका के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया थाः–

क्र0सं0	वित्तीय स्थिति	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि
1.	2022–23	1800
2	2023–24	3400
	योग	**5200**

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/331 दिनांकः–03.08.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत छतरोली के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 100 दिनांक 03.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष

जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व वस्तुस्थिति कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.47/– लाख के स्टॉक का क्रय करनाः–

ANNUAL REPORT

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित है।

ग्राम पंचायत छतरोली के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट–"6" में दिए गए विवरणानुसार ₹46851/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/336 दिनांकः–06.08.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 100 दिनांकः–07.08.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियम प्रावधानों के प्रतिकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ANNUAL REPORT

7.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹4.10/– लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत छतरोली के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट–"6" पर संकलित राशि ₹409660.2/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/337 दिनांकः–06.08.2024 द्वारा सूचित किया

गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— 100 दिनांकः— 07.08.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि स्टाक रजिस्टर संधारित करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का समुचित इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

7.3 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹0.82 लाख की राजस्व हानि एवं नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में लाखों के अनियमित भुगतान करनाः—

ANNUAL REPORT

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81—ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा।

परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD & PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अन्तर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/विक्रेताओं (Contractor/Vendors) से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "W" या "x" उपलब्ध करवाने उपरान्त ही भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट—"7"** पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹82119.43/— का अनियमित भुगतान एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों व समय—पर जारी आदेशों, निर्देशों की अवहेलना के कारण अंकेक्षणावधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/338 दिनांकः—06.08.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— 100 दिनांकः—07.08.2024 द्वारा सूचित किया गया कि निर्माण कार्यों हेतु गत समय में क्रय की गई सामग्री रेत, बजरी, बोल्डर से संबंधित एम फॉर्म को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उक्त सामग्री से रॉयल्टी की राशि की वसूली भी नहीं की गई है। रॉयल्टी की राशि की वसूली संबंधित संविदाकार/व्यक्ति

से कर ली जायेगी तथा अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री की राशि का भुगतान नहीं किया जाना अपेक्षित था।

अतः अंकेक्षणावधि के दौरान खनन सामग्री संविदाकारों/विक्रेताओं को नियमों एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को या तो नियमानुसार समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा किसी संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

8.1 निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स के क्रय हेतु ₹3.63/- लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

ANNUAL REPORT

सचिव (RD&PR) हि0 प्र0 सरकार के पत्र संख्या No.PCH-HC(10) FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि0 प्र0 सरकार के स्वीकृत माध्यम नियंत्रक भंडार के Rate Contract अथवा Gem Portel से उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाये आमंत्रित करके किया गया था तथा न हीं ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्र में वर्णित प्रावधान It will be mandatory for the concerned technical authority to give justification of the rates in the estimate.Before placing the supply order or awarding the work to lowest bidder justification of rates may be prepared and got approved from the one step up authority who has accorded Technical sanction. की अनुपालना हेतु अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई गई थी, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है :–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	मास	विवरण	मात्रा	राशि (₹)
1	NREGA	Nil/21.05.2022	05/2022	60mm(Paver Block) from M/s Varun Pathania Raja Ka Bagh Bassa Bill No 030 dt.-Nil	8530	152602
2	NREGA	Nil/21.05.2022	05/2022	60mm(Paver Block) from M/s Varun Pathania Raja Ka Bagh Bassa Bill No 032 dt.-Nil	8350	149382
3	NREGA	Nil/17.05.2022	05/2022	60mm(Paver Block) from M/s Varun Pathania Raja Ka Bagh Bassa Bill No 031 dt.-10.02.2022	3400	60826
					योग	**362810**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/335 दिनांकः–05.08.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कार्यालय पत्र संख्याः– 100 दिनांकः–07.08.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अनियमित व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः कृत व्यय को तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये तथा उक्त पत्र में वर्णित प्रावधानानुसार सक्षम तकनीकी प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स का क्रय करना सुनिश्चित करें।

8.2 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत करवाये गए निर्माण कार्यो के लिये सामग्री खरीद हेतु ₹0.10/–लाख का अधिक भुगतान करना :–

ANNUAL REPORT

1.निर्माण जीपेवल रोड विश्म्बर शर्मा इत्यादि वार्ड–3 की रिकार्ड प्रविष्टियां का अंकेक्षण करने पर पाया गया निम्न तालिका के अनुसार माप पुस्तिका संख्या 2639 के पृष्ठ संख्या 79 में निर्माण सामग्री, सीमेंट का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 10569 दिनांक 29.12.2021 के अनुसार निर्माण सामग्री सीमेंट 86 बैग का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप मूल्यांकन की अपेक्षा सामग्री की अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के कारण ₹5973 का अधिक भुगतान किया गया था:–

2.निर्माण जीपेवल रोड शमशानघाट वार्ड 4 की रिकार्ड प्रविष्टियां का अंकेक्षण करने पर पाया गया निम्न तालिका के अनुसार माप पुस्तिका संख्या 2662 के पृष्ठ संख्या 88,89 में निर्माण सामग्री, पत्थर, बजरी का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 337 दिनांक 06.03.2023 के अनुसार निर्माण सामग्री पत्थर–16.875 m3 व बजरी 21.70m3 का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप मूल्यांकन की अपेक्षा सामग्री की अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के कारण ₹4589/– का अधिक भुगतान किया गया था:–

क्र0 सं0	अनुदान	सामग्री	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्यो पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि (₹)
1.	मनरेगा	सीमेंट	86बैग	69 बैग	17 बैग	351.35	5973
2	मनरेगा	पत्थर बजरी	16.875m3 21.70m3	12m3 21.03m3	4.875m3 0.67m3	766 1276	3734 855
कुल योग							10562

वास्तविक खप्त योग्य सामाग्री का विवरण :–

1.Item-3 P/L(1:6:12) =6.75m3X 2.20(Cement. Factor) =**14.85 or say15 Bags**

Item-**6** P/L(1:2:4) =8.43m3X 6.40(Cement Factor) =**53.95 or say54 Bags**

Total = 69 Bags

2.Item-2 stone Solling (Actual quantity as per MB) **=12m3**

Item-3 P/L(1:6:12) =09 m3X .89(Agg. Factor +5%(variation) = **8.41m3**

Item-4 P/L(1:3:6) =13.5m3X .89(Agg. Factor +5%(variation) = **12.62m3**

Total = 21.03m3

इन अनियमिततों बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/339 दिनांकः–06.08.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–100 दिनांक 07.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली संबंधित व्यक्ति/संविदाकार से करने उपरान्त संबंधित खाते में जमा करवा दी जाएगी।

अतः अधिक भुगतान की गई राशि बारे नियमानुसार तथ्यपूर्ण स्पष्ट किया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित खाते में जमा करवाना सुनिश्चित की जाये व कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

9 राशि ₹4.69/– लाख के बिल/वाउचर अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 05/2022 व 06/2023 के वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार **₹4.68,822**/–का भुगतान किया गया था, जिसके बिल/वाउचरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। यह एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता हैः–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	विल स. /दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान की गई राशि (₹)
1.	मनरेगा	शून्य/21.05. 2022	87/24.01. 2022	निर्माण रास्ता हरदलिया मोहल्ला वार्ड–3	161950

2.	मनरेगा	शून्य / 21.05. 2022	91,92,95 / 24 .01.2022	निर्माण रास्ता जीपेवल रोड सडक से लेकर आश्रम तक वार्ड–9	106550
3.	मनरेगा	शून्य / 21.05. 2022	86 / 24.01. 2022	निर्माण सुरक्षा कार्य नजदीक सुभाष, महिन्द्र बंशी राम की जमीन	98250
4.	मनरेगा	शून्य / 21.05. 2022	83,84 / 24. 01.2022	निर्माण सुरक्षा कार्य जंसवन्त सिंह, ज्ञान सिह इत्यादि	48800
5.	मनरेगा	शून्य / 21.05. 2022	88,89 / 24. 01.2022	निर्माण सुरक्षा कार्य शशि पाल भजन सिंह इत्यादि	46375
6	मनरेगा	शून्य / 19.06. 2023	म0स0–1284	निर्माण हार्वेस्टिंग टैंक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ग्योरा	6897
				कुल योग	**468822**

उक्त बिल / वाउचरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 332 दिनांकः–03.08.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 100 दिनांक 07. 08.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त बिल / वाउचरों को अगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत उतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त सभी बिल / वाउचर दिखाए जाने सुनिश्चित किये जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके संबंधित शीर्ष खाते में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए।

ANNUAL REPORT

10 ₹2.42 / –लाख के निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत न करने बारेः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा वांछित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

चयनित माह के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान निम्न तालिका के अनुसार राशि ₹2,42,091 / – के निमार्ण कार्यो की माप पुस्तिकाओ को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया , जिससे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सकाः–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर संख्या / दिनांक	निर्माण कार्य का नाम	राशि (₹)
1	मनरेगा	शून्य / 21.05. 2022	निर्माण जीपेवल रोड सुभाष सिंह के घर से शिव मन्दिर वार्ड–1	77297
2	मनरेगा	शून्य / 21.05. 2022	निर्माण जीपेवल रोड नरेन्दर शर्मा, जैसी राम वार्ड–3	117042
3	मनरेगा	02,05 / 05.06. 2023,19.06.2023	निर्माण जीपेवल रोड सुभाष सिंह के घर से शिव मन्दिर वार्ड–1	24904
4	मनरेगा	04,06 / 05.06. 2023,19.06.2023	निर्माण जीपेवल रोड सडक से राज चौधरी, राम प्रसाद चोधरी वार्ड–1	14560
5	मनरेगा	03 / शून्य	निर्माण जीपेवल रोड / डेन सडक से गौरव शर्मा वार्ड–5	8288
				242091

उक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत छतरोली से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 333 दिनांकः– 03 / 08 / 2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–100 दिनांकः– 07 / 08 / 2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि आगामी अंकेक्षण में माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः संबंधित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न कर पाने का औचित्य स्पष्ट करते हुये अपेक्षित अभिलेख हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 (2) (iii) की अनुपालना सहित अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

11 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹15.21 / – लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल / वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 05 / 2022 व 06 / 2023 के वाउचरो का अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹15,20,724.87 / – का भुगतान किया गया था जोकि उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है, जिसके अभाव में किये गये भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती।

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/340 दिनांकः–07.08.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत छतरोली के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 100 दिनांकः–07.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

नोटः– उक्त व्यय अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए बिल/वाउचरों से संबंधित है।

12 निर्माण कार्यो से सम्बन्धित विसंगतियांः–

निर्माण कार्यो से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा पैरा संख्या "8.1" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1.नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यो की नमूना जाँच मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

3.ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्रारूप–34, जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है, उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

4.निर्माण कार्यो के बिलो के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस, रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/340 दिनांकः– 07.08.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत छतरोली को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 100 दिनांकः– 07.08.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही

है तथा विभिन्न निर्माण कार्यो से संबंधित प्रपत्र–34 को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया इन्हे तैयार करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

13 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करना:–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/329 दिनांकः 01.08.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 100 दिनांकः– 07.08.2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	7(3) एवं 10(1) तथा ''प्रारूप–5'' के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....

इस प्रकार लेखांकन प्रक्रिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन, सामग्री के रिसन (leakage) दुर्विनियोजन अथवा दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/329 दिनांकः–01.08.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 100 दिनांकः–07.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रत्युतर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

15.1 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जानाः–

रसीद बुकों के स्टॉक के अवलोकन में पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदो के स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13 (5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदों को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी

करने का अभिलेख प्रारूप–4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण से अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गयी तथा प्रयोग की गई रसीदों का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका तथा न ही पूर्ण अंकेक्षण जाँच संभव हो पाई है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदों के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है।

अतः इस अनियमितता बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदों का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15.2 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें ,संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनुरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत छतरोली द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत छतरोली के चयनित मासों के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउच्चर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15.3 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरों पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2022–23 में मनरेगा के व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 लघु आपति विवरणिकाः– लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

17 **निष्कर्षः**— लेखों के रख रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा—निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस कारण से लेखाओं के रख—रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

2 8 OCT 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का0/50
4836—4840

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)432/2024—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नूरपुर जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत छतरोली, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 8 OCT 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का0/50

ANNEXURE -1 (पैरा संख्या 4.1(क))

FINANCIAL POSITION OF GP CHHATROLI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	112780.00	590555.42	703335.42	190278.00	513057.42
2023-24	513057.42	461739.00	974796.42	609774.00	365022.42

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	2351060.79	3389261.15	5740321.94	3542564.15	2197757.79
2023-24	2197757.79	2002735.72	4200493.51	1690036.72	2510456.79

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत छतरोली
वि.ख. नूरपुर (कांगड़ा) हि.प्र.

Checked

22

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या "5.1")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP CHHATROLI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5TH STATE/VKVNY	2022-23	468677.00	224113	692790.00	138000	554790.00
		2023-24	554790.00	207293	762083.00	171000	591083.00
2	TSC/SBM	2022-23	43835.00	539.00	44374.00	44374.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	IAY	2022-23	175.00	4.00	179.00	38.00	141.00
		2023-24	141.00	4.00	145.00	35.00	110.00
4	MPLAD	2022-23	4670.00	133.00	4803.00	0.00	4803.00
		2023-24	4803.00	146.00	4949.00	0.00	4949.00
5	SDP	2022-23	31465.00	898.00	32363.00	0.00	32363.00
		2023-24	32363.00	986.00	33349.00	0.00	33349.00
6	14TH FC	2022-23	232818.49	2606.00	235424.49	234504.00	920.49
		2023-24	920.49	28.00	948.49	0.00	948.49
7	15TH FC/ZP/PS	2022-23	1569420.3	1109094.00	2678514.30	1073774.00	1604740.30
		2023-24	1604740.30	934369.00	2539109.30	659092.00	1880017.30
8	MNREGA	2022-23	0.00	2051874.15	2051874.15	2051874.15	0.00
		2023-24	0.00	859909.72	859909.72	859909.72	0.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत छतरोली
वि.ख. नूरपुर (कांगड़ा) हि.प्र.

Checked

ANNEXURE-2

[illegible] 2022-23 & 2023-24

Sl. No.	Particulars	Year	Opening Balance	Amount Received	Total	Expenditure	Closing Balance
1	[illegible]	2022-23	[illegible]	214115	5927650.00	153800.00	[illegible]
		2023-24	[illegible]	207983	7026550.00	1711.00	[illegible]
2	[illegible]	2022-23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4837.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	[illegible]	2022-23	[illegible]	4.00	172.00	[illegible]	141.00
		2023-24	141.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	110.00
4	[illegible]	2022-23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
		2023-24	[illegible]	146.00	4951.00	0.00	[illegible]
5	SFC	2022-23	[illegible]	858.00	523633.00	0.00	523633.00
		2023-24	[illegible]	686.00	[illegible]	0.00	[illegible]
6	[illegible]	2022-23	[illegible]	2808.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		2023-24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]
7	[illegible]	2022-23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		2023-24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	MNREGA	2022-23	0.00	20518741.15	20518741.15	20518741.15	0.00
		2023-24	0.00	8596905.72	8596905.72	[illegible]	0.00

परिशिष्ट–3 (पैरा संख्या 4.1(ख))

कार्यालय ग्राम पंचायत छतरोली विकास खण्ड नुरपूर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176201

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत छतरोली के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष –

क	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.22को	बैंक शेष 31.03.24 को
1	स्वःस्त्रोत / वी.के.वी.एन. वाई / एस.डी.पी / एस.डी. आर.एफ	का•के•सह•बैंक जस्सूर	20032005173	112780	372250
2	5वां वित	का•के•सह•बैंक जस्सूर	50051609191	41665	44156
3	5वांवित / वी.के.वी.एन.वाई	का•के•सह•बैंक जस्सूर	50051609168	427012	539699.42
4	टी.एस.सी	का•के•सह•बैंक जस्सूर	50051609271	43835	0
5	आई.ए.वाई	का•के•सह•बैंक जस्सूर	50051609248	175	110
6	एम.पी.लेड	का•के•सह•बैंक जस्सूर	50051609179	4670	4949
7	एस.डी.पी	का•के•सह•बैंक जस्सूर	50051609226	31465	33349
8	14वॉं वित्तायोग	का•के•सह•बैंक जस्सूर	50051609204	232818.49	948.49
9	15वॉंवित्त / पी.एस / जेड.पी	एच•डी•एफ•सी.बैंक जस्सूर	50100358004920	1569420.30	1880017.30
	हस्तगत शेष(हस्तगत रोकड.बही के अनुसार)				0
			कुल जोड.	**2463840.79**	**2875479.21**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत छतरोली
वि.ख. नूरपुर (कांगड़ा) हि.प्र.

24

परिशिष्ट–4 (पैरा संख्या 6.7)

कार्यालय ग्राम पंचायत छतरोली विकास खण्ड नुरपूर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176201

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2022–23 में 502 तथा 2023–24 में 502 परिवारों का रु 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2022–23	70835	502	50	25100	95935	0	95935
2023–24	95935	502	50	25100	121035	37950	83085
	नोटः– दिनाँक 31.03.2024 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि **₹ 83085**/– है।						

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत छतरोली
वि.ख. नूरपुर (कांगड़ा) हि.प्र.

Checked

25

परिशिष्ट–5 (पैरा संख्या "6.2" की)

कार्यालय ग्राम पंचायत छतरोली विकास खण्ड नूरपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176201

विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानि:–

क.संख्या	अवधि	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि
1.	2022–23	1800
2	2023–24	3400
	जोड़	**5200**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत छतरोली
विकास खंड नूरपुर
जिला काँगड़ा

(पंचायत सचिव ग्राम पंचायत छतरोली वि.ख. नूरपुर (कांगड़ा) हि.प्र.)

26

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	২
[illegible]	[illegible]	

[illegible]

परिशिष्ट – 6 (पैरा संख्या "4.1" व "7.2")

पंचायत छतरोली विकास खण्ड फतेहपुर जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश, स्टॉक/स्टोर की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना व औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर क्रय करना।

अनुदान	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.14TH FC	01/26.05.2022	Onu Modem Broadband(with GST)	479/14.05.2022	M/S Shivaya Cable Network Kutlahar Talara	—	—	6490	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
2.14TH FC	02/26.05.2022	Steel Almirah Lecture Stand	139/05.05.2022	M/S Super Steel &Rubber Industries Jassur	—	—	14750	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
3.14TH FC	03/26.05.2022	Epson Ecp Printer ,HP Laptop Charger	158/18.05.2022	M/s Shiv Shakti Computer Near Dhakki Bus stop	—	—	19300	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
4.NREGA	Nil/21.05.2022	Paver Blocks(60mm)	030/Nil	M/s Varun Pathania Interlocking Tiles Raja Ka Bagh Bassa	8530	17.89	152601.7	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
5.NREGA	Nil/21.05.2022	Paver Blocks(60mm)	032/Nil	M/s Varun Pathania Interlocking Tiles Raja Ka Bagh Bassa	8350	17.89	149381.5	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
6.NREGA	Nil/17.05.2022	Paver Blocks(60mm)	031/Nil	M/s Varun Pathania Interlocking Tiles Raja Ka Bagh Bassa	3400	17.89	60826	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
7.SF	13/05.06.2023	Stationary	1103/27.06.2023	M/S Mohan Printing Press Nurpur			6311	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
						कुल योग	**409660.2**	

नोट:– 1. क्रम संख्या 1, 2, 3 व 7 की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया है।
2. क्रम संख्या 1 से 7 तक की स्टॉक प्रविष्टियों का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया।

(हस्ताक्षर)
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत छतरोली
वि.ख. नूरपुर (कांगड़ा) हि.प्र.

Checked

27

परिशिष्ट - 7 (पैरा संख्या - "7.3")

ग्राम पंचायत छत्तरोली, खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि

Name of Supplier	Vr. No. & Date	Bill No. & Date	Name of Item	Qty. (cum)	Determining Fator	Qty. (in MT.)	Royality (Per MT.)	Due Royality
MNREGA								
M/s Rohit Singh Sen Giora Nurpur	47,48,49/22-23	06,07,09/03.04.2022,03.12.2022	Sand	52.350	1.62	84.807	80	6784.56
							Total	**6784.56**
							25% Penalty	**1696.14**
							(1)Total	**8480.70**
M/s Sudershan Kumar Chib &Sons Bhaleta Nurpur	50/22-23	337/06.03.2023	Sand	11.100	1.62	17.982	80	1438.56
			Bajri	21.700	1.52	32.984	80	2638.72
			Stone	16.875	2.24	37.800	80	3024.00
do	51/23.06.2023	336/06.03.2023	Sand	11.421	1.62	18.502	80	1480.16
			Bajri	22.842	1.52	34.720	80	2777.59
do	52/23.06.2023	338/06.03.2023	Sand	24.875	1.62	40.298	80	3223.80
			Bajri	47.610	1.52	72.367	80	5789.38
			Boulder	18.750	2.24	42.000	80	3360.00
do	53/20.06.2023	228/14.12.2022	Sand	27.000	1.62	43.740	80	3499.20
			Bajri	21.700	1.52	32.984	80	2638.72
			Boulder	4.680	2.24	10.483	80	838.66
do	54/21.06.2023	267/04.12.2022	Sand	16.000	1.62	25.920	80	2073.60
			Bajri	8.760	1.52	13.315	80	1065.22
			Boulder	13.500	2.24	30.240	80	2419.20
do	55/20.06.2023	231/04.12.2022	Sand	12.000	1.62	19.440	80	1555.20
			Bajri	11.410	1.52	17.343	80	1387.46
do	56/20.06.2023	230/14.12.2022	Sand	22.000	1.62	35.640	80	2851.20
			Bajri	39.560	1.52	60.131	80	4810.50
			Boulder	22.190	2.24	49.706	80	3976.45
do	57/20.06.2023	229/Nil	Sand	12.960	1.62	20.995	80	1679.62
			Bajri	19.340	1.52	29.397	80	2351.74
			Boulder	22.500	2.24	50.400	80	4032.00
							Total	**58910.98**
							25% Penalty	**14727.75**
							(2)Total	**73638.73**
							(1+2)G.Total	**82119.43**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत छत्तरोली
वि.ख. नूरपुर (कांगड़ा) हि.प.

28